



# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office Shop No. 2 & 3 C-4. DDA Market. First Floor. Lawrance Road. Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com  
Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018  
Website : www.dsrdsdelhi.com



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 58

Date : 26-7-2018

**SHY KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**LAGDISH PRASAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJBIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**HARI KRISHAN (JILL)**  
Vice-President  
9212442834

**SILVERAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MALLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEE KOUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Treasurer  
9871420213

प्रेस विज्ञप्ति

सदर प्रकाशनार्थ,

सम्पादक महोदय/महोदया

विषय:- दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त श्री मुकेश कुमार, को सीबीआई ने 50000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा:


दिल्ली सरकार द्वारा हमेशा राशन डीलर को ही चोर/माफिया जैसे शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है, जबकि हकीकत में राशन दुकानदारों को विभाग तथा सरकार की कमजोर नीती के कारण भ्रष्ट होने पर मजबूर किया जाता है, हाल ही में, ताज़ा मामला दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके का है! जहा पर विभाग द्वारा एक राशन की दुकान पर 14/9/2018 को ईन्फोर्स्मेंट टीम के द्वारा छापा मारा गया और उस दुकान पर कोई कार्यवाही न करने अर्थात उसको छोड़ने के एवज में 150000 रुपये की मांग की गई! जिसे बाद में 70000 रुपये में तय किया गया! जिसमें से 50000 रुपये की पेशगी एक अन्य व्यक्ति श्री श्याम सुन्दर के माध्यम से सहायक आयुक्त (दक्षिण) श्री मुकेश कुमार जी को देनी थी यह राशी सीबीआई के द्वारा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई गई, जिसे सीबीआई की टीम ने श्री श्याम सुन्दर को उपरोक्त राशी प्राप्त करते हुए रंगे-हाथों पकड़ लिया, उधर सीबीआई की दूसरी टीम ने श्री मुकेश कुमार जी को उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया,

गौरतलब हो कि, मार्च महीने में ONE TIME PASSWORD (OTP) के आधार पर इ-पोस मशीन के माध्यम से राशन वितरण किया गया, इन राशन

CONTD.....2.....



# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI



Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018

**DSRDS**

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 58

Date : 26-9-2018

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJBIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAMSUNAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**HARI KRISHAN (HCU)**  
Vice-President  
9212442834

**SIFARIM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MALLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KALR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Treasurer  
9871420213

.....2.....

उपभोक्ताओं में से कुछ उपभोक्ताओं की भौतिक जांच करने पर और राशन उपभोक्ता के निवास स्थान पर न मिलने पर केवल-और-केवल शक के आधार पर विभाग द्वारा सिर्फ राशन डीलर्स के खिलाफ ही अनैतिक कार्यवाही की गई! जबकि राशन कार्ड विभाग द्वारा बनाए जाते हैं, और उनकी बनाने से पूर्व भौतिक जांच की जिम्मेवारी भी विभाग की होती है, इसके अलावा समय-समय पर राशन कार्ड में वाँछित बदलाव भी विभाग के द्वारा ही किया जाता है, जिसमे राशन दुकानदार का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप संभव नहीं है! इसके बावजूद भी विभाग द्वारा बिना किसी आधार के/ राशन उपभोक्ता के पते पर उपलब्ध न होने की स्थिति में सिर्फ राशन दुकानदार के खिलाफ ही कार्यवाही की जाती है.


अपील:- दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश, दिल्ली सरकार से अनुरोध करता है कि इ-पोस मशीन/ बायोमेट्रिक प्रणाली को अविलम्ब बहाल कर भारत सरकार की पारदर्शी योजना को दिल्ली में लागू कर दिल्ली में राशनसिर्फ इ पोस से ही वितरण कराए, और विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से राशन डीलर्स और दिल्ली की जरूरतमंद राशन उपभोक्ता को प्रताड़ित होने से बचाए.

CBI की FIR की कापी संलग्न है

आपका विश्वासी

शिव कुमार गर्ग

(अध्यक्ष)

  
26/9/2018